याचिका समिति

प्राक्कथन

लोक सभा की याचिका समिति सदन की सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जिसका गठन केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा पहली बार 20 फरवरी, 1924 को किया गया था। पहली याचिका 14 सितंबर, 1922 को केंद्रीय विधान सभा को प्रस्तुत की गई थी। भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (जिसे लोकप्रिय रूप से एज ऑफ कंसेंट बिल के रूप में जाना जाता है) से संबंधित कतिपय याचिकाओं पर समिति का पहला प्रतिवेदन 19 फरवरी, 1925 को उपाध्यक्ष ने सभा को प्रस्तुत किया था। समिति को 1933 तक "लोक याचिकाओं संबंधी समिति" के नाम से जाना जाता था, अर्थात जब समिति का नाम बदलकर "याचिका समिति" कर दिया गया।

2. अध्यक्ष, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 306 के तहत समिति का गठन करते हैं। समिति के कार्यक्षेत्र और कार्यों का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 307 और लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 95 में है, जिसके तहत समिति प्राप्त सभी याचिकाओं और अभ्यावेदनों की जांच करती है।

समिति के कार्यक्षेत्र और कार्य

3. समिति के कार्य निम्न हैं:

(i) इसे भेजे गए प्रत्येक याचिका की जांच करना, और यदि याचिका नियमों का अनुपालन करती है, तो समिति यह निदेश दे सकती है कि याचिका को विस्तृत या सारांश रूप में परिचालित किया जाए; जहां तथापि समिति ने याचिका का परिचालन करने का निदेश नहीं दिया है, वहां अध्यक्ष किसी भी समय निदेश दे सकते हैं कि याचिका परिचालित की जाए;

(ii) इसे भेजे गए याचिका में की गयी विशिष्ट शिकायतों पर ऐसे साक्ष्य, जैसा उचित समझा जाए, लेने के पश्चात सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(iii) समीक्षाधीन मामले के संदर्भ में या तो ठोस उपचारात्मक उपाय या भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने का सुझाव देना;

4. अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 95 के संदर्भ में, समिति को उन विभिन्न व्यक्तियों, संघों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों और टेलीग्रामों पर विचार करने का भी अधिकार प्राप्त है, जिसे अन्य याचिकाओं से संबंधित नियमों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, और उनके निपटान के लिए निदेश देते हैं।

तथापि, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले अभ्यावेदनों को समिति के द्वारा विचार नहीं किया जाता है, लेकिन सचिवालय में प्राप्त होने पर फाइल कर दिया जाता है:

(i) गुमनाम पत्र या पत्र, जिन पर प्रेषकों के नाम और / या पते न

दिया हो या अपठनीय हो ; और

(ii) अध्यक्ष या सभा के अलावा अन्य अधिकारियों को संबोधित पत्रों की पृष्ठांकन प्रतियां जब तक कि शिकायत के निवारण के लिए प्रार्थना करने वाली ऐसी प्रति पर कोई विशिष्ट अनुरोध न हो।

5. नियम 307 और निदेश 95 में शामिल न किए जाने वाले मामलों के संबंध में, समिति का कामकाज संसदीय समितियों से संबंधित सामान्य नियमों (लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 253 से 286) से संबंधित है। ये नियम लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के उपर्युक्त नियमों के अन्य नियमों और नियम 389के तहत अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग मे जारी किए गए निदेशों के द्वारा पुनः परिपूर्ण किये गए हैं।

याचिका

6. सचिवालय प्रत्येक याचिका की, सभा में प्रस्तुतीकरण से पहले, जांच करती है ताकि देखा जा सके कि यह प्रक्रिया के नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। यदि याचिका की स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए संबंधित मंत्रालय से तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक माना जाता है, तो अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 40 (2) के अनुसार एक संदर्भ मंत्रालय को दिया जा सकता है और तथ्य एकत्र किए जाते हैं। प्रत्येक याचिका, किसी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत करने के बाद, याचिका समिति को संदर्भित समझी जाती है (नियम 169) ।

7. किसी याचिका का विषय निम्नलिखित में से किसी एक मद से संबंधित हो सकता है:

(i) राजपत्र में प्रकाशित विधेयक या जिसे सभा में (सरकारी या निजी सदस्य के विधेयक) में पुरःस्थापित किया गया है; या

(ii) सभा के समक्ष लंबित कार्य से जुड़ा कोई भी मामला; या

(iii) सामान्य जनहित के किसी भी मामले [नियम 160]।

8. तथापि , निम्नलिखित मामलों पर याचिका स्वीकार्य नहीं हैं:

(i) ऐसे मामले जो भारत के किसी भी हिस्से के न्यायालय या न्यायालय की जाँच या सांविधिक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकाय या आयोग के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के संज्ञान में आते हैं;

(ii) ऐसे मामले जिन्हें आमतौर पर राज्य विधानमंडल में उठाया जाना चाहिए;

(iii) ऐसे मामले जिन्हें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव या प्रस्ताव पर उठाया जा सकता है;

(iv) ऐसे मामले जिनके लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, विनियमों, उपनियमों या प्राधिकरण सहित कानून के तहत एक उपाय उपलब्ध है, जिनके लिए ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है;

(v) संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) तक निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित या भारत की संचित निधि में शामिल व्यय से संबंधित, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है ;

(vi) व्यक्तिगत या व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित मामले। [नियम 160 (iii) (क) से (घ) और 160 क और निदेश 40 (1)]; तथा

(vii) संविधान में संशोधन की मांग करने वाले मामले।

अभ्यावेदन

9. समिति विभिन्न व्यक्तियों, संघों आदि से अभ्यावेदन, पत्र और टेलीग्राम पर भी विचार करती है, जो याचिकाओं से संबंधित नियमों में शामिल नहीं होते हैं और समिति स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार उनके निपटान का निदेश देती हैं।

समिति द्वारा याचिका / अभ्यावेदन के निपटान के बारे में प्रक्रिया

10. सामान्य जनहित से संबंधित याचिकाओं के मामले में, संबंधित मंत्रालयों / विभागों की टिप्पणियों को समिति के समक्ष विचार के लिए एकत्र किया जाता है और रखा जाता है। समिति, यदि आवश्यक समझती है, तो याचिकाकर्ता और / या मंत्रालय / विभाग के प्रतिनिधियों को मामले पर सुनवाई कर सकती है। तत्पश्चात, सचिवालय, समिति के

निष्कर्ष और सिफारिशों के आधार पर रिपोर्ट का मसौदा तैयार करता है। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, मसौदा रिपोर्ट को समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाता है और किसी बैठक में उसपर विचार किया जाता है। समिति उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्यों के निर्णयों को मूर्त रूप देने के साथ या उसके बिना ही रिपोर्ट स्वीकार करती है। समिति के निर्णय आम तौर पर सर्वसम्मत होते हैं और प्रतिवेदन में असहमति का कोई उल्लेख नहीं होता है। [निदेश 68 (3)]

11. यदि कोई मंत्रालय या विभाग समिति की सिफारिश को लागू करने की स्थिति में नहीं होता है या लागू करने में कठिनाई महसूस करता है, तो मंत्रालय इस मामले में लोकसभा सचिवालय को अपने विचारों से अवगत कराता है और इन्हें समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति इस मामले में मंत्रालय के विचारों पर विचार करने के बाद, यदि उचित समझे तो सभा में एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

12. स्पष्ट रूप से वास्तविक शिकायतों के अभ्यावेदनों को स्वीकार किया जाता है और मंत्रालय / विभाग से प्राप्त तथ्यों को समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। उनके संबंध में आगे की कार्यवाही समिति के निर्णय के अनुसार की जाती है जैसा कि याचिकाओं के मामले में होता है।

13. **16 वीं लोक सभा के दौरान किये गए कार्य**

की गयी बैठकों की संख्या	प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदनों की संख्या	प्राप्त /रिपोर्ट की गयी याचिकाओ की संख्या	प्राप्त किये गए अभ्यावेदनों की संख्या	किया गया तत्स्थानिक दौरा
56	68	21 याचिकाएँ प्राप्त हुई जिसमें से 5 याचिकाएँ स्वीकार्य पाई गईं और सभा को प्रस्तुत की गईं।	कुल 13901 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। जिसमें से 378 अभ्यावेदनों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है और 68 के बारे में सभा को सूचित किया गया।	8